रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2008/आश्विन 4, 1930
No. 526] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2008/ASVINA 4, 1930

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 687(अ).—केन्द्र सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है नामश: :—

1. (1) इन नियमों को वायुयान (---संशोधन) नियम, 2008 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 में नियम 3 में खण्ड (1) के पश्चात् खण्ड (1क) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (1क) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा नामश: :—

"(1) 'दुर्घटना' का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा उड़ान के प्रयोजन से विमान में चढ़ने के समय से लेकर और ऐसे सभी व्यक्तियों के विमान से उतरने के बीच घटी विमान परिचालन से संबद्ध घटना, जिसमें—

(क) कोई व्यक्ति निम्नलिखित के कारण घातक या गंभीर रूप से घायल हो जाए—

(i) विमान में होने के कारण; अथवा

(ii) विमान के किसी भी भाग से, इसमें वे भाग भी शामिल हैं जो विमान से अलग हो गए हों, सीधे सम्पर्क के कारण; अथवा

(iii) जेट ब्लास्ट से सीधे सम्पर्क के कारण,

इसमें प्राकृतिक कारण से लगी चोटें, स्वयं लगी या अन्य व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई चोटें, अथवा सामान्यतया यात्रियों और कर्मीदल के लिए उपलब्ध क्षेत्र के बाहर छिपकर यात्रा करने के कारण लगी चोटें शामिल नहीं हैं; अथवा

(ख) विमान को कोई ऐसी क्षति पहुंचे या संरचनात्मक विफलता हो जिससे—

(i) संरचना की मजबूती, निष्पादन या विमान की उड़ान विशेषताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; और

(ii) प्रभावित पुर्जों की सामान्य तथा भारी मरम्मत या प्रतिस्थापन करना पड़े,

इसमें ईंजन निष्क्रिय हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने, जब यह क्षति ईंजन इसकी काउलिंग या उपसाधनों तक ही सीमित हो या विमान की बाहरी सतह में नोदकों, पंखुड़ियों, एंटीना, टायरों, ब्रेकों, फेयरिंग, छोटे आकार के डेंटो या पंक्चर छिद्रों तक सीमित क्षति, इसमें शामिल नहीं होगी; अथवा

(ग) विमान खो जाए या पूर्णतया अगम्य हो ।

स्पष्टीकरण 1 : इस खंड के उद्देश्यों के लिए "घातक रूप से घायल" का अर्थ है ऐसी चोट जिसके कारण दुर्घटना के 30 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए ।

स्पष्टीकरण 2 : इस खंड के उद्देश्यों के लिए "विमान लापता है" का अर्थ है कि विमान का मलबा नहीं मिला और अधिकारियों ने खोज समाप्त कर दी है ।"

[फा. सं. ए.वी. 11012/9/2007-ए]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—(1) मूल नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी–26, दिनांक 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र के भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 660(अ) तारीख 19 सितम्बर, 2008 द्वारा किया गया ।

(2) केन्द्र सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 24-9-2008 के अपने आदेश सम संख्या द्वारा इस अधिसूचना के मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्तों से जनहित में छूट दी है ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2008

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (.....Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 3, clause (1) shall be renumbered as clause (1A) and before clause (1A) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(1) "Accident" means an occurrence associated with the operation of an aircraft which takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, in which—

(a) a person is fatally or seriously injured as a result of :

(i) being in the aircraft; or

(ii) direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become detached from the aircraft; or

(iii) direct exposure to jet blast,

except when the injuries are from natural causes, self-inflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding outside the areas normally available to the passengers and crew; or

(b) the aircraft sustains damage or structural failure which—

(i) adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the aircraft; and

(ii) would normally require major repair or replacement of the affected component,

except for engine failure or damage, when the damage is limited to the engine, its cowlings or accessories; or for damage limited to propellers, wing tips, antennas, tires, brakes, fairings, small dents or puncture holes in the aircraft skin; or

(c) the aircraft is missing or is completely inaccessible.

Explanation 1.—For the purposes of this clause "fatally injured" means an injury resulting in death within thirty days of the date of the accident.

Explanation 2.—For the purposes of this clause "aircraft is missing" means the wreckage of the aircraft has not been located when the official search has been terminated."

[F. No. AV. 11012/9/2007-A]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Notes :—(1) The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification no. V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by *vide* notification number G.S.R. 660(E) published in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i), dated the 19th September, 2008.

(2) The Central Government in exercise of the powers conferred by proviso to Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) has in the public interest dispensed with the condition of previous publication in case of this notification *vide* its order of even no. dated 24th September, 2008 issued in the Ministry of Civil Aviation.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.